

पत्र संख्या : 7ब/4701 यो०ज०सं०-20/12 103

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, राँची,
संबंधित अधीक्षण अभियंता/ संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक 31.8.12

विषय :— मॉग संख्या—49—जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष—4701—मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय, उप—मुख्य शीर्ष—80—सामान्य, लघु शीर्ष—796—जन—जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष—70—ई गवर्नेंश, विस्तृत शीर्ष—07—अन्य व्यय 59 अन्य व्यय के अन्तर्गत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2012—13 में निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2012—2013 में बजट मुख्य शीर्ष 4701—मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट—1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को परिशिष्ट—2 में वर्णित कार्यों पर व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :—

क्र०	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष	उप शीर्ष/ विस्तृत शीर्ष/ विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु में)	अन्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	49—जल संसाधन विभाग/ 4701—मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय /80—सामान्य / 796—जन—जातीय क्षेत्रीय उपयोजना	70—ई—गवर्नेंस, 07—अन्य व्यय, 59 अन्य व्यय 49P470180796700759	53.84	

आवंटित राशि — ₹ तिरेपन लाख चौरासी हजार मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2012—2013 के बजट उपबंध रु. 100.00 लाख (एक करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय विभागीय पत्रांक 1/पी.एम.सी./कार्य/701/2012—12/12—13 प्र. स्वी.; राँची, दिनांक: 25.07.2012 द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में तकनीकी स्वीकृति एवं परिशिष्ट—2 वर्णित कार्यों के लिए किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की सख्त्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकरी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

1.1.076911PM(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता(जयप्रकाश भट्टाचार्या)
उप सचिव (अभि.)(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)(वी. सी. निगम)
विशेष सचिव1

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।
अनुलग्नक—यथोक्त

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

103

रॉची, दिनांक :- 31.8.12

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) ज्ञारखण्ड पो. - हिनू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरण्डा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

103

रॉची, दिनांक :- 31.8.12

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/सचिव योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव जल संसाधन विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, ज्ञारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

(जयप्रकाश भट्टाचार्य)
उप सचिव (अभि.)

(सुदोध कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

विभागीय पत्रांक :-

दिनांक :-

परिविष्ट :- 1

मौंग सख्त्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिवय,

उप-मुख्य शीर्ष-80-सामाच,

लघु शीर्ष-796-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना

उप शीर्ष-70-ई गवर्नेंश

विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय 59 अन्य व्यय,

49P470180796700759

वित्तीय वर्ष 2012-13 में बजट उपवय 100.00 लाख (एक करोड़) रुपये मात्र।

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग/राशि	वर्ष 2012 तक व्यय	राशि लाख ₹ में				
						पूर्ति का आवंतन	वर्तमान आवंतन	कुल आवंतन	अनुमति	वर्ष 2012-13 में निर्धारित आवंतन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	जल पथ प्रमांडल रैंची ।	रैंची	ई गवर्नेंश के अन्तर्गत कम्प्यूटर ऑपरेटर का भुगतान, विभागीय MIS Cell, Web Information Cell -cum- e- Procurement Cell के रख रखाव एवं आवश्यक उपकरणों/ सामाग्रियों का क्रय तथा मुख्यालय के विभिन्न कार्यालयों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए कम्प्यूटर प्रिन्टर, फोटो कॉपियर, लैपटॉप आदि के क्रय।	1 / पी०एम०सी० / कार्य / 701 / 2012-12-13 प्र०स्वी० रैंची दिनांक 25.07.2012	72.095	0.00	0.00	53.84	53.84	हार्ड कार्ड क्रिटिकल एवं कार्यालय के परिशिष्ट-2 में
			आवंति राशि:- ₹ तिरेपन लाख चौरासी हजार मात्र।	कुल योग		0.00	0.00	53.84	53.84	

(सुरेश प्रसाद भाटा)

सहायक अभियंता

(जयप्रकाश भट्टाचार्य)

उप सचिव (अभि.)

(सुधाकर कुमार सिर्चर)

संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)

विशेष सचिव

(एस० क० भट्टाचार्य)

प्रधान सचिव।

पत्रांक :— दिनांक

का अनुलग्नक

परिशिष्ट - 2

विपत्र कोड — 49P470180796700759

क्र.	प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	कार्य का विवरण	संख्या	अधिष्ठापन का स्थान	राशि (लाख ₹ में)	अन्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	भूरेश्वर प्रमंडल जल पर्यावरण मंत्रालय	भूरेश्वर प्रमंडल जल पर्यावरण मंत्रालय	1 डाटा इन्स्ट्री ऑपरेटर के भुगतान हेतु 2 दो प्रस्तावित डाटा इन्स्ट्री ऑपरेटर के भुगतान हेतु 3 Materials and accessories required for MIS Cell & Monitoring Cell a) Toner for Photo Copier b) Cartridge for Printer c) Cartridge for Colour Printer d) Paper (A4) e) Pen Drive f) Plastic Folder and Binding Material g) CD (Recordable and Rewritable) h) Software, Books, Stationary etc. i) Electrical equipment (Battery etc.) j) Modem (Data Card) 4 Maintenance of equipments i.e. Computer, Printer, Photo Copier, UPS, Air Conditioner, Battery, Electrical installation etc. of MIS Cell, Nepal House, Ranchi 5 Repair/Maintenance and Internet monthly rental payment of e-procurement cell 6 Operation & Maintenance of EDP including A.C. facilities.	16 Nos 2 Nos L.S L.S L.S	विभागीय मुख्यालय के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत MIS Cell, Web Information Cell -cum- e-procurement Cell, Water Resources Department, Ranchi MIS Cell, Monitoring Cell, Web Information Cell -cum- e-procurement Cell, Water Resources Department, Ranchi e-Procurement Cell, Water Resources Department, Ranchi Office of SE-II, SE-III and EE I, III, VII and AE of Monitoring Cell, Joint Secretary (Engg.)	20.16 2.52 2.50 1.50 0.60 25.00 0.48 0.63 0.20 0.25 53.84	
			7 Cartridge for Printer (Xerox phaser 3010) 8 Ultra Book 9 Almirah 10 Computer Table with Chair	12 1 1 2	संयुक्त सचिव (अभियंत्रण) कोषांग, जल संसाधन विभाग, राँची। Chief Engineer, Project, Planning & Monitoring, WRD, Ranchi Web Information Manager, e-Procurement Cell, WRD, Ranchi		
					Total		
						कुल राशि:— ₹ तिरेपन लाख चौरासी हजार मात्र।	

सुरेश प्रसाद भगत
सहायक अभियंता

जयप्रकाश भट्टाचार्य
उप सचिव (अभि.)

सुबोध कुमार सिन्हा
संयुक्त सचिव (अभि.)

बी. सी. निगम
विशेष सचिव

एस० के० शतपथी
प्रधान सचिव।